संख्या-24 /2022/630 /001-87-01099-1-2022-अति उर्जा स्रोत वि0

प्रेषक,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्तर ऊर्जा स्रोत विभाग लखनऊ दिनांक 29 जुलाई, 2022

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-70 के सामान्य मद के अन्तर्गत मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना में चयनित राजस्व ग्रामों में सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) के पत्र संख्या-1735/यूपीनेडा- एसईपीवी-एसएसएल-बजट/2022-23, दिनांक 15-07-2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना में चयनित राजस्व ग्रामों (मजरे, पुरवे, टोले-बसावट सहित) में सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के क्रियान्वयन हेतु ऊर्जा विकास अभिकरण, उ0प्र0 को वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित धनराशि रू0 530.00 लाख (रू0 पॉच करोड़ तीस लाख मात्र) में से प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रू0 265.00 लाख (रू0 दो करोड़ पैंसठ लाख मात्र) स्वीकृत कर व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध

1- स्वीकृत धनराशि शासनादेश संख्या-1049/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2018, दिनांक 18-06-2018 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए उसी मद में व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। योजना पर किए जाने वाले व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जाये।

2- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसी कार्य के लिये पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही ये कार्य किसी अन्य कार्यक्रम की कार्य योजना में सम्मिलित है।

3- कार्यस्थल पर इसे संबंधित उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिलापट्ट/बोर्ड के रूप में जन साधारण की जानकारी के लिये प्रदर्शित किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

4- प्रस्तावित प्रायोजना की तकनीकी की स्वीकृति सक्षमस्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना का प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा। उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, इसके लिए कार्य पूर्ण एवं कार्य समाप्ति के बाद वीडियोग्राफी करायी जाय।

5- अनुदान के कोषागार से आहरण हेतु बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

6- अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की भौतिक प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग/अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 02 माह में अर्थात् दिनांक 31 मई, 2023 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा।

8- उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरित/व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 तथा समय-समय पर जारी संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,65,00,000 (रुपये दो करोड़ पैंसठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 070 लेखा शीर्षक 2810021010307 मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 24/2022/630/001-87-01099-1-2022-अति उर्जा स्रोत वि0 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (प्रथम) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2) कोषाधिकारी, लखनऊ।

(3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

(4) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0 प्र0, प्रयागराज।

(5) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।